(घ) क्या पहले वाले गोदाम को तिगने किराये पर दे दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) खादी ग्रामोद्योग भवन के पास अप्रैल, 1969 तक 3000 रुपये मासिक का एक किराये का गोदाम था ।

(ख) अब नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

Survey for Gandhidham-Lakhpat Line in Kutch Distt. (Gujarat State)

2052. SHRI T. M. SHETH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a preliminary engineering and traffic survey for Gandhidham-Lakhpat line in Kutch District (Gujarat State) has been completed ;

(b) if so, whether the reports on this survey have been completed and submitted to the Railway Board ;

(c) whether these reports have been considered and a decision taken thereon ; and

(d) the nature of the decision ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The surveys are still in progress and are expected to be completed in a few months' time.

(b) to (d). Do not arise.

रेलवे को हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव

2053. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रेलवे को अत्यधिक हानि होने की संभावना के परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी के यात्रियों का रेलवे किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार ने तीसरी श्रेणी के यात्रियों का किराया बढ़ाने के बजाय इस हानि को अन्य तरीकों से पूरा करने के लिए उपायों की खोज की है तथा उन पर विचार किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों के वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है परन्तु तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हानि को कम करने के लिए रेलों द्वारा किये जाने वाले अन्य उपाय हैं आमदनी बढ़ाना और खर्च में सामान्य किफायत । इस दिशा में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं : —

1. रेलों की ओर अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए विपणन और विक्रय अभियान ।
2. आउट एजेंसियों, नगर बुकिंग एजेंसियों, बाजार से संग्रहण और सुपुर्दगी सेवाओं, आदि जैसे रेल-स्थान से दूर स्थित क्षेत्रों में बुकिंग की सुविधाओं की व्यवस्था ।
3. कंटेनर सेवा, फ्रेट फार्वर्डर योजना, तेज परिवहन सेवा, तेज एक्सप्रेस माल गाड़ी सेवा, आदि जैसी सुथरी सेवाएं लागू करना ।
4. जहां औचित्य हैं वहां स्टेशन से स्टेशन की विशेष दरें उद्धृत करना ।
5. यात्री और अन्य यातायात की आवश्यकतायें बेहतर तरीके से पूरी करने के लिए रेल सेवा में आम सुधार ।
6. क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान में कमी करने के लिए मार्ग में होने